# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 34/2018 अपील

| | |
|---|---|
| श्री हनुमान सिंह पिता जयसिंह राजपूत निवासी निम्बाहेड़ा (बोरडा) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –अपीलार्थी | बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट |

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले
प्रकरण सं0 79/2017 निर्णय दिनांक 08.01.2018

उपस्थित –

श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

## निर्णय

दिनांक 12.04.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 79/2017 निर्णय दिनांक 08.01.2018 के खिलाफ दिनांक 19.02.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का की रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरूद्ध तथाकथित कार्यवाही प्रारम्भ की गई उसमें अपीलाण्ट को न तो सुना गया व न जवाब देही का अवसर दिया गया । राजनीतिवश पटवारी पर दबाव डालकर रिपोर्ट पेश करवाई गई व तहसीलदार शाहपुरा ने वास्तविक तथ्यों को बिना किसी जांच के तथाकथित सजा का आदेश पारित किया जो तथ्यों व विधि दोनों के प्रतिकूल होने से सजायाबी का जो आदेश पारित किया वह काबिल मनसुखी के हैं। अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित निर्णय से ही स्पष्ट हैं कि जिस भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं हैं तथा अन्य भूमि के लिए दोषी करार दिया गया व सजा दी गई , जबकि नोटिस अन्य भूमि का दिया गया । इस प्रकार तथ्यों व विधिक त्रुटि रिकार्ड पर स्पष्ट होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने से तथा जांच का विषय हैं जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये व प्रतिपक्षी को सुने बगैर मनमकसुद निर्णय कर

दिया जो काबिल खारिज के हैं। इस वर्ष अकाल व अनावृष्टि का वर्ष रहा हैं व भूमि पर कोई फसल ही काश्त नहीं हुई । आराजी नं. 358 कृषि शुन्य है व कोई फसल नहीं हैं जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरोधाभासी व अत्यन्त कठोर हैं जिससे मिसल महोताजे सबुत होकर काबिल रिमाण्ड के है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति दिनांक 09.01.2018 को प्राप्त हुयी जिस पर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा न्यायालय में अवकाश होने से अपील पेश करने में 10 दिन का विलम्ब हुआ हैं जिसके लिए धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2018 को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का की रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरूद्व तथाकथित कार्यवाही प्रारम्भ की गई उसमें अपीलाण्ट को न तो सुना गया व न जवाब देही का अवसर दिया गया । राजनीतिवश पटवारी पर दबाव डालकर रिपोर्ट पेश करवाई गई व तहसीलदार शाहपुरा ने वास्तविक तथ्यों को बिना किसी जांच के तथाकथित सजा का आदेश पारित किया जो तथ्यों व विधि दोनों के प्रतिकूल होने से सजायाबी का जो आदेश पारित किया वह काबिल मनसुखी के हैं। अपीलाण्ट के विरूद्व पारित निर्णय से ही स्पष्ट हैं कि जिस भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं हैं तथा अन्य भूमि के लिए दोषी करार दिया गया व सजा दी गई , जबकि नोटिस अन्य भूमि का दिया गया । इस प्रकार तथ्यों व विधिक त्रुटि रिकार्ड पर स्पष्ट होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने से तथा जांच का विषय हैं जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये व प्रतिपक्षी को सुने बगैर मनमकसुद निर्णय कर दिया जो काबिल खारिज के हैं। इस वर्ष अकाल व अनावृष्टि का वर्ष रहा हैं व भूमि पर कोई फसल ही काश्त नहीं हुई । आराजी नं. 358 कृषि शुन्य है व कोई फसल नहीं हैं जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरोधाभासी व अत्यन्त कठोर हैं जिससे मिसल महोताजे सबुत होकर काबिल रिमाण्ड के है। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2018 को निरस्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री हनुमान सिंह राजपूत निवासी निम्बाहेड़ा (बोरडा) के द्वारा ग्राम निम्बाहेड़ा के आराजी नं. 358 रकबा 3.82 बीघा भूमि किस्म बंजड़ में से 1.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण सं. 79/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर हनुमान सिंह राजपूत द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 03 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 50/—रू. से दिनांक 08.01.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम निम्बाहेड़ा तहसील शाहपुरा के बिलानाम आराजी नं. 358 रकबा 3.82 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म बंजड़ दर्ज रिकार्ड है । तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 358 में रकबा 1.00 बीघा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 50/— शास्ति आरोपित की गयी । उक्त आराजी किस्म बंजड़ भूमि है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 358 रकबा 1.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 03 माह के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 50/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे के औचित्य के संबंध में कोई ठोस कारण /दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त बिलानाम बंजड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश

से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 03 माह के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 79 /2017 निर्णय दिनांक 08.01.2018 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.01.2018 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/4/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)